लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/32/2018 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 28.03.2018

श्री बाबूलाल टेलर निवासी ए–101, गांधीनगर, सेक्टर नं. 5, चित्तौड़गढ़

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, भदेसर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 20.04.2018

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, भदेसर के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 30.01.2018 को रजिस्टर्ड ड़ाक से प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 32/2018/(20.04)/261 दिनांक 28.03.2018 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, भदेसर को दिनांक 20.04.2018 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 20.04.2018 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने दिनांक 20.04.2018 को स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा कि अपीलार्थी ने दिनांक 30.01.2018 को आवेदन पत्र के साथ 30 रूपये के कोपींग टिकीट, 25/–रू. के ड़ाक टिकीट लगे हुए उसका पता लिखा लिफाफा संलग्न किया था चूंकि उसे तहसीलदार भदेसर द्वारा दिनांक 19.04.2018 को तहसील

भदेसर के ड़ाक कर्मी द्वारा हस्तगत सूचना उपलब्ध कराई गई तथा उसके एवज में 10/-रूपये लिये जो कि विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। अतः वांछित सूचना विलम्ब से उपलब्ध कराने से 30/-रू. के कोपींग टिकीट, 25/-रू. का ड़ाक टिकीट लगा लिफाफा एवं 10/-रू. पुनः दिलावें एवं निः शुल्क सूचना उपलब्ध करावें।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, भदेसर ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेन्ट्स प्रस्तुत नहीं किए।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30.01.2018 से वांछित सूचना उसे सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, भदेसर द्वारा जरिये ड़ाक कर्मी उपलब्ध कराई जा चुकी है किन्तु सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना निर्धारित 30 दिवस की अवधि में उपलब्ध नहीं कराई जाने से अपीलार्थी द्वारा निः शुल्क सूचना उपलब्ध कराते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत कोपींग टिकीट, डाक टिकीट लगा लिफाफा एवं 10/-रू. शुल्क वापस दिलाने का निवेदन किया है अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, भदेसर को अपीलार्थी को उसके 10/-रू., शेष बचे कोपींग टिकीट एवं उसके द्वारा प्रस्तुत 25/-रू. टिकीट लगा हुआ पता लिखा लिफाफा पुनः लौटाने के निर्देश दिये जाते हैं।

(इन्द्रजीत सिंह)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./32/2018(सू.अ.)/
प्रतिलिपिः- दिनांकः- / /2018

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, भदेसर
2. श्री बाबूलाल टेलर, निवासी ए-101, गांधीनगर, सेक्टर नम्बर 5, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)